

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी / प्रार्थी

प्रतिवादी / अप्रार्थीगण

तामराद

बनाम

जामाराद तौराद

प्रकरण : राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 54 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
08/03/22	<p>यह वाद/प्रार्थना पत्र अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री शिवकुमार पाराशर ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27-6-22 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल</p>	
27/4/22	<p>वकील वादी अथवा प्रतिवादीगणों के नोटिस तामील इंतजार होकर दि. 13/4/2022 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
13/6/22	<p>अन्वय/पलकारान के अभाव में रीटोरोन प्रसिवादी की मीटिंग में अन्वय का विकास पर गये हुए हैं, इसलिए अन्वय उनके अन्वय दिनांक 21/6/22 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
21/8/22	<p>वकील वादी अनुपस्थित आवान लगाई गई वाद आवान एवं इंतजार उपस्थिति इपरांत वकील वादी हानिर नही आये है तथा ना ही वादी स्वयं हानिर आया है। अतः वाद वादी का अदम हानरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। मिसल नम्बर से कम होकर वाद जामता कार्यवाही टारिख दफ्तर रहे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	